न्यायालय– अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी–	राधिका सिंह चारण, आर.जे.एस
एफ.आई.आर. नं0–	157/2020 (पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़)
अन्तर्गत धारा –	307, 323, 341, 147, 148, 149, 427, 120 बी, 109 भा.दं.सं.

अक्षय कुमार पुत्र श्री कलवंत सिहाग जाति जाट निवासी भोमपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 437 दण्ड प्रकिया संहिता

उपस्थिति जरिये वी.सी. :–

1. श्री गुरदेव सिंह–विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से
2. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी – राज्य की ओर से

:: आदेश :: **दिनांक : 28.03.2020**

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, हनुमानगढ़ के कार्यालय आदेश क्रमांक स्था./2020/42 दिनांक 23.03.2020 व कार्यालय आदेश क्रमांक स्था./2020/45 दिनांक 26.03.2020 के अनुसरण में मुझ पीठासीन अधिकारी को आज दिनांक 27.03.2020 को अत्यावश्यक कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है, जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त अक्षय कुमार की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 437 दण्ड प्रक्रिया संहिता जरिये अधिवक्ता पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे समक्ष पेश किया गया, जिसकी नकल अभियोजन अधिकारी को दिलवाई गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 17.03.2020 को परिवादी निषभ ज्याणी ने थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 16.03.25020 को परिवादी के कजिन भविष्य का बी.ए. प्रथम वर्ष का पेपर बेबी हैप्पी कॉलेज हनुमानगढ़ जंक्शन में होना था। भविष्य को साथ लेकर परिवादी व उसका कजिन ऋषभ अपनी कार नंबर आर जे 31 सी ए 4457 से सुबह करीब 10.30 बजे घर से निकले। परिवादी गाड़ी चला रहा था। वह ज्यैसे ही ईजी–उे के पास मेन रोड़ पर पहुंचा तो सामने सकी ओर से जॉकी शोरूम के पास मोटरसाईकिल पर खड़े परीक्षित व अक्षत ने उसको आवाज देकर अपनी ओर बुलाया। वह कार लेकर उनके पास पहुंचा तो उसे बातों में लगा लिया। अक्षत सिहाग ने फोन करके किसी को कहा कि हमने इन्हें रोक रखा है, आप लोग आ जाओ। इतने में सुशील

बलिहारा, सुभाष सहारण, सुशील मील व 5–6 अन्य लड़के अपने हाथों में डण्डे व लाठियां लेकर आये और उसकी कार के शीशों पर लाठियों से चोटें मारना शुरू कर दी। प्रार्थी को जान से मारने की नियत से उसके साथ लाठियों व डण्डों से मारपीट शुरू कर दी। परिवादी का भाई ऋषभ उसे बचाने के लिए कार से बाहर आया तो सुशील बलिहारा वगेरा ने ऋषभ को भी जान से मारने के लिए उसके सिर में लाठी की चोट मारी, जिससे वो जमीन पर गिर गया और उसके गिरे हुए के भी लाठियों की चोटें मारी। इस हमले में परिवादी व ऋषभ के सिर व अन्य भागों पर गंभीर चोटें लगी है, आदि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 157/2020 दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ धारा 307, 323, 341, 147, 148, 149, 427, 120 बी, 109 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित माना।

3. बहस प्रार्थना पत्र जरिये वी.सी. सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध झूठा मुकदमा बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध में मृत्युदण्ड एवं आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान नहीं है। प्रकरण के निस्तारण में काफी समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार का रहने वाला है, जिसके बाद जमानत कहीं भागने का अंदेशा नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत राज्य पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त पर गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

4. न्यायालय द्वारा दौराने बहस उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों–वितर्कों के परिप्रेक्ष्य में तथ्यात्मक रिपोर्ट व प्रस्तुत कागजात का अवलोकन किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट व दस्तावेजात् के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में धारा 307, 323, 341, 147, 148, 149, 427, 120 बी, 109 भा.दं.सं. में प्रकरण दर्ज होकर अनुसंधानरत है। एफ.आई.आर. में उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर उक्त जमाव का सदस्य रहते हुए सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी निषभ ज्याणी व उसके भाई ऋषभ को वांछित दिशा में जाने से साशय रोककर उनको जान से मारने की नियत से उनके साथ कुंदाला हथियार से मारपीट कर चोटें कारित करना दर्शित होता है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। इसके अलावा प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा 307 भा.दं.सं. के अपराध का आरोप है, जो कि माननीय सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये, मामले के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी

किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः प्रार्थी/अभियुक्त अक्षय कुमार पुत्र श्री कलवंत सिहाग जाति जाट निवासी भोमपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ़ की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जावे।

(राधिका सिंह चारण)
अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हनुमानगढ़

6. आदेश आज दिनांक 28.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राधिका सिंह चारण)
अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,
हनुमानगढ़